भारतीय गैर न्यायिक

एक सौ रुपये

Rs. 100

ONE HUNDRED RUPEES

रु. 100

भारत INDIA NON JUDICIAL

NOTARIAL NOTARIAL

उप निबंधक/ जालौन स्थान उरई

8 AUG 2023

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

(प्रारूप–"अ")

GL 028811

सत्र 2023–24 में नवस्थापित की जाने वाली डिप्लोमा इन फार्मेसी संस्थाओं की सोसाइटी/ ट्रस्ट के अध्यक्ष और सचिव द्वारा प्रस्तुत किये जाने वाले नोटरी **शपथ पत्र**

हम, रमाकान्त द्विवेदी (अध्यक्ष) एवं श्रीमती राजकुमारी गुप्ता (सचिव) क्रमशः अध्यक्ष एवं सचिव माँ विंध्यावासिनी सेवा समिति, राजेन्द्र नगर, उरई, जनपद जालौन शपथ पूर्वक निम्नवत बयान करते है :–

1. यह कि हमारी सोसाइटी/ट्रस्ट द्वारा माँ विन्ध्यावासिनी सेवा समिति, राजेन्द्र नगर, उरई, जनपद जालौन (संस्था का नाम एवं पता) एस0आर0 कालेज ऑफ फार्मेसी, नया पाठकपुरा, उरई जनपद जालौन नामक डिप्लोमा इन फार्मेसी संस्थान की स्थापना सत्र 2023–24 से किया जाना प्रस्तावित है।
2. यह कि हमारी सोसाइटी/ट्रस्ट के नाम माँ विन्ध्यावासिनी सेवा समिति, (पता जहां पर भूमि स्थित है) कोंच रोड, नया पाठकपुरा, उरई में गाटा सं0 404 एवं 405 रकवा क्रमशः 0.837 एवं 0.817 हैक्टेयर (कुल रकवा 1.654 हेक्टेयर) का 1/2 भाग 0.827 है0 भूमि है।
3. यह कि उपरोक्त भूमि पर किसी प्रकार का कोई भी वाद किसी भी न्यायालय मे नही चल रहा है और भूमि विवाद रहित है।
4. यह कि उपरोक्त पते पर सोसाइटी के नाम उपलब्ध भूमि मे गाटा संख्या 404 एवं 405 रकवा क्रमशः 0.837 एवं 0.817 हेक्टेयर कुल रकवा 1.654 हेक्टयर का 1/2 भाग 0.827 है0 पर उपरोक्त नाम की डिप्लोमा इन फार्मेसी संस्थान की स्थापना किये जाने का प्रस्ताव सोसाइटी/ट्रस्ट की बैठक दिनांक 29.06.2022 द्वारा पारित किया गया है।

राजकुमारी गुप्ता

5. यह कि उपरोक्त भूमि पर ही प्रश्नगत डिप्लोमा फार्मेसी संस्थान के संचालन हेतु भवनों का निर्माण अनुमोदित नक्शे के अनुसार किया गया है।
6. यह कि निरीक्षक समिति के समक्ष उपरोक्त पते पर सोसाइटी/ट्रस्ट के नाम भूमि एवं उस पर निर्मित एवं निर्धारित भवनो को ही निरीक्षण समिति के समक्ष निरीक्षण हेतु प्रस्तुत किया गया है।
7. यह कि इस भूमि एवं इस पर निर्मित भवनों पर फार्मेसी काउन्सिल ऑफ इण्डिया, नई दिल्ली के नियनों के अंतर्गत ही डिप्लोमा फार्मेसी संस्थान का ही संचालन किया जायेगा।
8. यह कि इस संस्था में फार्मेसी काउन्सिल ऑफ इण्डिया, नई दिल्ली द्वारा अनुमोदित एंव प्राविधिक शिक्षा परिषद से सम्बद्ध पाठ्यक्रम एवं प्रवेश क्षमता के अनुसार ही पाठ्यक्रम में प्रशिक्षण प्रदान किया जायेगा।
9. यह कि उपरोक्त भूमि व इसपर निर्मित भवनों में फार्मेसी काउन्सिल ऑफ इण्डिया, नई दिल्ली से अनुमोदित एवं प्राविधिक शिक्षा परिषद, उ0 प्र0 लखनऊ से सम्बद्ध संस्था एवं पाठ्यक्रमों के अतिरिक्त किसी अन्य परिषद/विश्वविद्यालय द्वारा अनुमोदित/सम्बद्ध कोई अन्य संस्थान/विद्यालय/महाविद्यालय/आई0टी0 आई0 आदि का संचालन न तो पूर्व मे कभी किया गया है, और न ही भविष्य में कभी किया जायेगा।
10. यह कि संस्थान के संचालन हेतु आवश्यक क्लास रूम, प्रयोगशालाओं एवं कार्यशालाओं आदि को फार्मेसी काउन्सिल ऑफ इण्डिया, नई दिल्ली एवं प्राविधिक शिक्षा परिषद के मानको के अनुसार ही सुसज्जित किया जायेगा।
11. यह कि संस्था के संचालन हेतु आवश्यक शैक्षिक एवं अशैक्षिक स्टाफ की तैनाती सोसाइटी/ट्रस्ट द्वारा सत्र प्रारम्भ के पूर्व कर लिया जायेगा।
12. यह कि शासन/परिषद द्वारा निर्गत निर्देशो/आदेशों का भलीभांति पालन करूंगा। यदि मेरे संस्थान में किसी भी समय स्थलीय निरीक्षण में मानकानुसार कोई भी कमी पायी जाती है तो परिषद की निरीक्षण एवं सम्बद्धता समिति द्वारा लिया गया निर्णय अंतिम होगा एवं मुझे मान्य होगा। इस हेतु मेरे द्वारा कोई विधिक कार्यवाही नहीं की जायेगी।
13. मैं घोषणा करता/करती हूं कि मेरे द्वारा दी गयर उपरोक्त सूचना मेरी निजी जानकारी में पूर्ण रूप से सत्य है। यदि दी गयी जानकारी एवं अभिलेख/ दस्तावेज फ़र्जी, कूटरचित अथवा त्रुटिपूर्ण पाये जाते है तो मेरे विरूद्व परिषद द्वारा नियमानुसार कानून संगत कार्यवाही की जा सकेगी। ऐसी की गयी विधिक कार्यवाही हेतु मैं स्वयं उत्तरदायी होऊंगा।

ह0 सचिव ह0 अध्यक्ष